न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भौंरी देवी बनाम संतोष कोली मु.नं.–75/25 किस्म – T.I.	

03.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 02 की तामील स्पीड पोस्ट डाक रसीद पेश की। अप्रार्थी सं. 02 की तलबी जरिये स्पीड पोस्ट डाक कराये एक महिने से अधिक समय हो चुका है। बार-2 आवाज दिलवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रा.पत्र T.I. पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र T.I. पर विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 19.2.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

19.02.26
अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-3-26 को पेश हो।

12.3.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21-4-26 को पेश हो।

21.4.26
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज धौंडी देवी बनाम संतोष वगैरह मु.नं.– किस्म –	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
75/2025	21.07.2025	21.04.2026

बउनवान

1. धौडी देवी पत्नी मलखान मीना, निवासी ऊकरूंद, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. विमला पत्नी धनफूल मीना, निवासी ऊकरूंद, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. संतोष पुत्र श्रीया मीना, निवासी ऊकरूंद, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा महवा, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं उपपंजीयक मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री खेमसिंह गुर्जर।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित आराजी ग्राम ऊकरूंद, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित खाता सं. 375 के खसरा सं. 1716 रकबा 1.09 हैक्टे. स्थित है जिसमें प्रार्थीगण 25/108 – 25/108 हिस्से पर खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थी सं. 1, 29/54 हिस्से पर खातेदार काश्तकार है। सभी काश्तकारान को अपने–अपने हिस्से के मुताबिक अधिकार पूर्वक काश्त करने का हक हासिल है परंतु सामूहिक खाता होने की वजह से बहामी तौर पर बंटवारे में जमीन कम ज्यादा होने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के बीच विवाद रहता है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से का बंटवारा कराकर मौके पर मुताबिक जमाबंदी के अलग से खाता छंटाने के लिये तथा अपनी कम ज्यादा आराजीयात को बराबर–बराबर करने को अप्रार्थी सं. 1 से दिनांक 18.07.2025 को निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 1 धमकी देने लगा कि तुम बंटवारा की बात करते हो तो मेरी कब्जेशुदा जमीन, जो कि तुम्हारे हिस्से की जमीन से नाप में ज्यादा है, किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर रहा हूँ और उसका मौके पर नाप में जितनी जमीन है, उसी के हिसाब से इस आराजी सौदा कर दिया है। अब तुम उसी व्यक्ति से बंटवारा कराना और अब इसमें अडचन पैदा की तो तुम्हारे हाथ–पैर तोड दूंगा। विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा हुये बिना हर खातेदार का हर इंच पर कब्जा माना जाता है और बिना विधिवत बंटवारे के अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त भूमि का विक्रय किसी दीगर लट्ठ वाले व्यक्ति को कर दिया तो अजनबी गुण्डा तत्व प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर भी काश्त एवं उपयोग उपभोग में बेजा दखलंदाजी करेंगे और ज्यादा जमीन को प्रार्थीगण को किसी भी सूरत में नहीं देने की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिये विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा किया जाकर अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी हिस्से अनुसार किया जाना अपरिहार्य है। अप्रार्थी सं. 1 किसी भी सूरत में इस जमीन का बिना बंटवारे के अपने हिस्से की ज्यादा जमीन का सौदा करना चाहता है जिसके कारण प्रार्थीगण अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होती है। मुताबिक जमाबंदी हिस्सेदारान को विधिवत बंटवारा कर दिये जाने से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है। इसलिये दावा तकास्मा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना लाजिम आया है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का बंटवारा से पहले आराजी का किसी दीगर लठ्ठ वाले व्यक्ति को बेचान कर प्रार्थीगण को परेशान करने को आमादा है, ऐसी उसके द्वारा दिनाक 18.07.2025 को धमकी दी जा चुकी है। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जाना न्यायहित में है। यदि उन्हें पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के हक में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपार्थी सं. 1 को इस आशय से पाबंद करें कि तादौराने दावा, अप्रार्थी सं. 1 बिना तकास्मा कराये ना तो प्रार्थीगण किसी लठ्ठ वाले व्यक्ति को इस भूमि का बेचान करे और स्वयं अथवा अपने नौकर, ऐजेन्ट, प्रतिनिधि के जरिये प्रार्थी को किसी भी प्रकार से नुकसान कारित ना करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 21.07.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम ऊकरूंद, पटवार हल्का ऊकरूंद, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 1716 के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 02 व 03 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम ऊकरूंद, तहसील मंडावर, जिला दौसा में स्थित है जिसमे प्रार्थीगण का 25/108–25/108 हिस्सा मौजूद है एवं शेष हिस्सा पर अप्रार्थी 29/54 हिस्से का खातेदार काश्तकार व्यक्ति है एवं मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने ही अपनी उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा प्रार्थीगण को बेचान किया है एवं उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी ने अपने अपने हिस्से के अनुसार मौके पर बंटवारा एवं फसल काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में से अप्रार्थी के हिस्से से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। विवादित आराजी का मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सानुसार बंटवारा हो रहा है। प्रार्थीगण को पूर्व में अप्रार्थी द्वारा ही उक्त जमीन का विक्रय किया गया था। अब प्रार्थीगण पुनः अप्रार्थी पर अनावश्यक दबाव बना कर अप्रार्थी की शेष भूमि को भी स्वयं ही हडपना चाहती है जबकि अप्रार्थी के हिस्से की भूमि से प्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है। मौके पर किसी प्रकार की भूमि कम नहीं है बल्कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करते समय पटवारी हल्का ऊकरूंद से नाप करने के बाद ही अपने हिस्से की पूरी जमीन पर कब्जा प्राप्त किया है एवं अब प्रार्थीगण जबरन

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अप्रार्थी के हिस्से की भूमि को लट्ठ के बल पर हडपना चाहती है एवं उक्त मुकदमे की आड़ में भूमि पर स्टे आदेश जारी करवा कर अप्रार्थी को डरा रखा है एवं अप्रार्थी को बार–बार धमकी देते हैं कि तेरी जमीन पर स्टे लगवा दिया है, अब तू तेरी हिस्से की जमीन पर काश्त नही करेगा एवं हमको ही इस जमीन को बेचेगा। इस बात से अप्रार्थी अत्यधिक भयभीत हो गया है एवं प्रार्थीगण एवं इनके पति भूमाफिया व्यक्ति है जिन्होंने अप्रार्थी को डरा धमका कर अप्रार्थी की भूमि को सस्ती कीमत पर लेना चाहते है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं है जिससे अप्रार्थी के हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीगण ने यह दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में झूठे तथ्यों पर पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है एवं प्रार्थीगण और इनके पति भूमाफिया व्यक्ति है जो जबरन अप्रार्थी को डरा धमका कर अप्रार्थी की शेष रही भूमि को भी सस्ती कीमत पर खरीदना चाहते हैं जिससे अप्रार्थी अपनी पत्नी, बच्चों को लेकर यहाँ सें निकल जाए। कानूनन सहखातेदार की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है लेकिन विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थीगण जबरन अप्रार्थी की भूमि को हडपने के आशय से या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने एवं प्रमाणित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण तथा विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 01 की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत् 2074–77 के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। विवादित आराजीयात अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र के जरिये प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। संबद्ध वाद पत्र के लम्बित रहने के दौरान अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में यदि अपने हिस्से का बेचान कर दिया जाता है तो अविभाजित आराजीयात में मौके पर कब्जे को लेकर विवाद बढना सम्भावित है जिससे वाद बहुलता में वृद्वि होगी। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने से बचाने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम ऊकरूंद, पटवार हल्का उकरूंद, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खाता सं. 375 के खसरा सं. 1716 रकबा 1.09 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21.07.2025 को इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 मूल वाद के निर्णीत होने तक उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 1716 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति को बनाये रखेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 21.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)